रामकिशन बनाम हुकमचन्द

अपील संख्या : 19/53

11.02.2019	उक्त अपील अभिभाष श्री अमर किशन शर्मा द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं भू–आवंटन अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.1989 के विरूद्ध पेश की गई है । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया ओर निवेदन किया कि ग्राम अयाना की आराजी खसरा नम्बर 2663 की रकबा 0.65 हैक्टर भूमि पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 24.06.89 को उक्त भूमि पर आवंटन आदेश जारी कर गैर खातेदारी में खाता आया है । पिछले दो साल से उक्त हुकम चन्द मुझे तंग कर रहा है । प्रार्थी ने वर्ष 1989 से पहले से ही लम्बी व गंभीर बीमारियों के कारण राजस्व दस्तावेज को प्राप्त नहीं कर और दिनांक 18.12.2018 को पता लगा कि उक्त भूमि हुकमचन्द को आंवटित कर दी गई है । अपीलान्ट गंभीर बीमारी के कारण उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने अतिक्रमी की हैसियत से आवंटन आदेश को चैलेंज किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । हमने उभय पक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.1989 के विरूद्ध दिनांक 27.12.2018 को पेश की है जो गंभीर अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम जानकारी किस प्रकार हुई के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट एवं सतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । अपीलान्ट ने अपील पेश किये जाने में विलम्ब के जो कारण बताए उनमें स्वयं को गंभीर बीमार होना बताया है परन्तु उनके कथनों के समर्थन में कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र अथवा कोई शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती हो । इन तथ्यों के आधार पर अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है व विलम्ब के शमन का युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्ट उक्त अपील वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण के आधार पर अपील पेश की है । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई है और अतिक्रमण के आधार पर अपीलान्ट को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से और अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं है । अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर भी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं गुणावगुण पर भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । 11/2/19 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा